

देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्ता या समुचित सरकार

—:प्रारंभिक अधिसूचना:—

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या1346.../भू अ०

दिनांक : 18/8/2021

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-रानीबांध, थाना-सारठ, थाना सं०-450, अंचल-पालोजोरी, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना खागा-फुटानी चौक-डीगरी-डुमरिया मोड़-महापुर पथ पुनर्निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-रानीबांध, थाना-सारठ, थाना सं०-450, अंचल-पालोजोरी, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश-0.82 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है -

क. सं.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	95	रैयती	बाड़ी-1	0.07	रामदेव महारा वो सुरेश महारा पे० कागजी महारा वो कार्तिक महारा वो विनो महारा वो दिनु महारा वो पांचु महारा पे० महाबीर महारा वो मोरनी देवी पति काशी महारा वो कामदेव महारा वो मैनेजर महारा पे० बट्टी महारा वो देबु महारा वो गुड्डु महारा पे० भुखन महारा वो हरगौरी महारा पे० बेलो महारा वो सोफी महारा वो नेपाल महारा वो जगदीश महारा पे० कंटु महारा कौम चमार सा०देह।	अर्जित खेसरा का शेष भाग	नयाखारना नं०-487	चकनवाडी ह नं०-451	गजियाडी ह नं०-220
2	2	96	रैयती	म०स०	0.005	तथैव।				
3	2	90	रैयती	धानी-3	0.11	तथैव।				
4	2	89	रैयती	बाड़ी-2	0.07	तथैव।				
5	3	101	रैयती	बाड़ी-2	0.135	कपिल महारा पे० हाकिम महारा वो चंचला देवी पति दासो महारा वो ठेसो महारा वो शुकर महारा पे० धनपत महारा वो पार्वती देवी पति कुंजो महारा सा०देह।				
6	3	100	रैयती	बाड़ी-1	0.075	तथैव।				
7	4	69	रैयती	बाड़ी-1	0.07	नीजू महतो वल्द गुरुदयाल महतो (ज०रै०) सा०देह।				
8	5	64	रैयती	बाड़ी-2	0.075	पांतु महतो वल्द चतुर महतो (ज०रै०) सा०देह।				
9	5	71	रैयती	बाड़ी-2	0.075	तथैव।				
10	12	65	रैयती	बाड़ी-2	0.055	मनतरा देवी वो देवकी देवी पे० जलेश्वर महतो वो भगवती देवी पे० कलेश्वर महतो वो प्रदीप महतो वो कारु महतो वो रोहित महतो माता मंजु देवी वो उर्मिला देवी पति नन्दलाल महतो वो वकील महतो वो कारु				

						महतो वो मदन महतो पे० बंदी महतो वो सुनिता देवी पति सुभाष महतो वो चिन्तामणि यादव वो महेश महतो वो हलधर महतो वो पवन यादव वो बुलु यादव पे० पंचानन महतो सा०देह।				
11	12	67	रैयती	बाड़ी-1	0.08	तथैव।				
कुल रकवा-					0.82					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेंगी।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
देवघर
30.7.21

अधर समाहर्ता
देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1346/ भू अ०, देवघर, दिनांक 18/8/2021

प्रतिलिपि : संबंधित भू धारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पालोजोरी, को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला गजट के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
देवघर
30.7.21

अधर समाहर्ता
देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।